संख्या-11/2021/617/22-2-2020-17(209)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी, 2021***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नीरज मिश्रा पुत्र श्री आत्मानन्द, निवासी जनपद-सोनभद्र, हाल जनपद-मीरजापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5/दया0 बैठक 20-05-2020 दिनांक 15-06-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नीरज मिश्रा पुत्र श्री आत्मानन्द, ग्राम-कम्हरिया, थाना-घोरावल, जनपद-सोनभद्र, हाल पता भूदेव वकील की गली, थाना-कोतवाली, जनपद-मीरजापुर का रहने वाला है। बंदी द्वारा जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 11.06.1998 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेय अस्त्रों से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी।। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-120/2000 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149 302/149 के अन्तर्गत मा0 ए0एस0जे0-1, सोनभद्र के आदेश दिनांक 18.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2012 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.01.2020 तक 12 वर्ष 09 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 05 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी नीरज मिश्रा (बन्दी संख्या-17111) पुत्र श्री आत्मानन्द, निवासी जनपद-सोनभद्र, हाल जनपद-मीरजापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2021/617(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मीरजापुर/सोनभद्र।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in